

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

अंशु रोजलिन लकड़ा

सहायक प्राध्यापक, माँ विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन

शोध—सार

शिक्षा और जीवन अन्योन्याश्रित है। शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा है। शिक्षा को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन की आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक व्यक्तिगत और दूसरी सामाजिक। व्यक्तिगत आवश्यकताओं में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं सम्मिलित है। शिक्षा व्यक्ति की इन सभी आवश्यकतायें को पूरा करती है। शिक्षा के द्वारा बालकों को योग्य, कर्मठ चरित्रवान, परिश्रमी और राष्ट्र एवं समाज के प्रति संवेदनशील बनाया जाये, जिससे वे देश और समाज की प्रगति और विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। माध्यमिक शिक्षा स्तर, प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा स्तरों के बीच स्थित होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के उपरांत ही बालक उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है और इस माध्यमिक स्तर में बालकों में परिपक्वता का आगमन होना शुरू हो जाता है, चूंकि बालकों की अवस्था इस समय किशोरों की होती है और किशोरावस्था में बालकों में अदम्य साहस, चुनौतियों का सामना करने का हौसला, आत्मविश्वास, कौतुहल आदि का प्रबल संवेग होता है। अतः किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बालकों को सही मार्गदर्शन प्रदान कर देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध—विषय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना था। अध्ययन के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विद्यालय आने के पूर्व जो पारिवारिक परिवेश मिलता है, वह छात्र—छात्राओं शैक्षणिक विकास को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।

संकेत शब्द—माध्यमिक शिक्षा, किशोरावस्था, अनुसूचित जनजाति

प्रस्तावना

शिक्षा तथा मानव जाति का जन्म—जन्मांतर का सम्बन्ध है। शिक्षा आंतरिक वृद्धि तथा विकास की न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और इसकी अवधि जन्म से मृत्यु तक फैली हुई है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ मनुष्य को मानव बनाना तथा जीवन को प्रगतिशील, सांस्कृतिक एवं सभ्य बनाना है। यह व्यक्ति तथा समाज की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी विचार शक्ति तथा तर्क शक्ति, समस्या—समाधान तथा बौद्धिकता, प्रतिभा तथा रुझान, धनात्मक भावुकता तथा कुशलता और अच्छे मूल्यों तथा रुचियों को विकसित करता है। इसी के द्वारा ही वह मानवीय, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य प्रतिदिन तथा हर क्षण कुछ न कुछ सीखता है। इसकी समस्त जीवन ही शिक्षा है। अतः शिक्षा एक निरन्तर तथा गतिशील प्रक्रिया है। इसका सम्बन्ध सदा विकसित होने वाले मानव तथा समाज के साथ है। इसीलिए यह अभी विकास करने वाली प्रक्रिया है।

शिक्षा के द्वारा ही हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है। इस देश में रहे या विदेश में प्रत्येक स्थान पर हमारी सहायता करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फुल खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल की भाँति खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता, शोक एवं कष्ट के अधिकार में डुबा रहता है।

माध्यमिक शिक्षा : वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप प्राथमिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि का है, परन्तु इनमें माध्यमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ी है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थियों को अपने रुचियाँ, अभिवृत्तियों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के आधार पर आगे चलकर वे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक-बालिकाओं में सामाजिक, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यवसायिक गुणों का विकास करना है, जिसके द्वारा आगे चलकर वे देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे।

कोठारी आयोग (1964–66) ने भी माध्यमिक शिक्षा की दो भागों में विभाजित किया है निम्न माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक। निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा तथा 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष की की सामान्य शिक्षा एवं 1 से 3 वर्ष की व्यवसायिक शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाए। माध्यमिक शिक्षा के उपरांत ही बालक उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है इसलिए माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण इकाई मानकर, इसके व्यावसायीकरण का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अंतर्गत 10+2+3 शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई है। जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा 3 वर्ष का रखा गया है। इस स्तर पर विद्यार्थियों की रुचियाँ, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

नई शिक्षा नीति (2020) 5+3+3+4 संरचना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर को 3 वर्ष का रखा गया है। इसमें 11 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को रखा गया है, यह चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस चरण में विद्यार्थियों में एक खास कौशल विकसित करने पर बल दिया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक के लिए 4 वर्ष का समय रखा गया है। जिसमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यवसायिक कौशल के विषय शामिल हैं।

अनुसूचित जनजातियाँ:

अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं, जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित हैं जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हीं समुदाय के लोगों की आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, बन्य जाति, बनवासी आदि नाम दिया गया है। वैसे 'आदिम' का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे अधिक पुराना, प्राचीन था मूल। अतः अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं, जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित हैं जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

कुमार मनीष (2008) ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थिति उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक अनुशासन एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक अनुशासन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

रेढ़डी, रमन्ना (1974) के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर अभिभावकों एवं शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन किया और निष्कर्षतः पाया कि विद्यार्थियों की शिक्षा पर अभिभावकों एवं शिक्षकों की

अभिवृति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षकों व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति जागृत करें।

अध्ययन के उद्देश्य :

1 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सिमरिया प्रखण्ड के 10 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 300 अनुसूचित जनजाति (150 छात्र एवं 150 छात्राओं) के विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श द्वारा किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्यों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित पारिवारिक वातावरण एवं विद्यालयी वातावरण अनुसूची परीक्षण, साक्षात्कार तथा अवलोकन का प्रयोग किया गया है। शोधार्थी स्वयं विभिन्न विद्यालयों में जाकर प्रधानाचार्य से अनुमति लेकर शिक्षकों के माध्यम से छात्रों एवं छात्राओं से सम्पर्क करके परीक्षण प्रशासित किया तथा उनसे पूरी सूचनायें प्राप्त की। कुल 300 छात्र-छात्राओं पर परीक्षण प्रशासित किये गये। तथ्यों का सारणीयन चरों के अनुसार किया गया है।

तथ्यों का संग्रहण एवं विश्लेषण

सारणी संख्या – 1 जाति के आधार पर वर्गीकरण

जाति	छात्र		छात्राएं		कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उर्हाँव	42	21	52	26	94	47
मुंडा	40	20	46	23	86	43
लोहरा	28	14	18	09	46	23
बेदिया	22	11	20	10	42	21
महली	12	06	10	05	22	11
कोल	06	03	04	02	10	05
योग	150	75	150	75	300	150

उपरोक्त सारणी संख्या-1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 300 विद्यार्थियों में 47 प्रतिशत उर्हाँव जनजाति के हैं। जिसमें 21 प्रतिशत छात्रों और 26 प्रतिशत छात्राओं का है। 43 प्रतिशत मुंडा जनजाति के विद्यार्थियों का है। जिसमें 20 प्रतिशत छात्रों और 43 प्रतिशत छात्राओं का है। 23 प्रतिशत विद्यार्थी लोहरा जनजाति के हैं। 21 प्रतिशत बेदिया और 11 प्रतिशत महली जनजाति के विद्यार्थियों हैं। सबसे कम 5 प्रतिशत कोल जनजाति के विद्यार्थियों का है।

सारणी संख्या-2 पारिवारिक वातावरण के आधार पर वर्गीकरण

पारिवारिक वातावरण	छात्र		छात्राएं		कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सुखद एवं सौहार्दपूर्ण	32	16	40	20	72	36
कलहपूर्ण	52	26	50	25	102	51
सामान्य	66	33	60	30	126	63
योग	150	75	150	75	300	150

उपरोक्त सारणी संख्या-3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में 36 प्रतिशत सुखद एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण से विद्यालय आते हैं। जबकि 51 प्रतिशत छात्र-छात्राएं कलहपूर्ण वातावरण से आते हैं। 63 प्रतिशत बच्चे सामान्य वातावरण से आते हैं। जिसमें 33 प्रतिशत छात्रों एवं 30 प्रतिशत छात्राओं का है।

स्पष्टत: जिन बच्चों के परिवार में पारिवारिक वातावरण सुखद एवं सौहार्दपूर्ण या सामान्य होता है। वहाँ के बच्चे रुचि के साथ विद्यालय के सभी क्रियाकलाप में भाग लेते हैं तथा उनका शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का दर कलहपूर्ण वातावरण से विद्यालय आने वाले छात्र-छात्राओं से अधिक है। कलहपूर्ण वातावरण से आनेवाले छात्र तथा छात्राएं झगड़ालू या अकर्मण्यता दर्शाते हैं। अतः पारिवारिक वातावरण का प्रभाव छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

सारणी संख्या – 3 परिवार के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

परिवार का स्वरूप	छात्र		छात्राएँ		कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एकाकी	98	49	82	41	180	90
संयुक्त	52	26	68	34	120	60
योग	150	75	150	75	300	150

विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं में 90 प्रतिशत एकाकी परिवार के हैं और 60 प्रतिशत संयुक्त परिवार से हैं। इस प्रकार 180 बच्चे एकाकी परिवार के हैं और 120 बच्चे संयुक्त परिवार के हैं। 180 बच्चों में 49 प्रतिशत छात्र और 41 प्रतिशत छात्राएं एकाकी परिवार के हैं। 60 प्रतिशत बच्चे संयुक्त परिवार के हैं। जिसमें 26 प्रतिशत छात्र एवं 34 प्रतिशत छात्राओं की संख्या है। इस प्रकार एकाकी परिवार के बच्चों की संख्या और प्रतिशत संयुक्त परिवार की अपेक्षा अधिक है। बच्चों के शैक्षिक विकास पर अभिभावक के शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चों के अभिभावकों के शिक्षा के स्तर को जानना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध-विषय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना था। इस संबंध में अनुसंधान का औचित्य, परिकल्पना, विधि, प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण, व्याख्या एवं सम्पूर्ण अध्ययन कार्य के विविध पक्षों का प्रभाव ज्ञात कर सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

अध्ययन के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विद्यालय आने के पूर्व जो पारिवारिक परिवेश मिलता है, वह छात्र-छात्राओं शैक्षणिक विकास को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अतः इस जनजाति के छात्र-छात्राएं जिस भी समाज से आते हैं; उनके अभिभावक की पारिवारिक, सांस्कृतिक, रुद्धिवादी विचारधारा, अशिक्षा एवं आर्थिक स्थिति का स्पष्ट प्रभाव उनके शैक्षिक विकास पर अवश्य ही पड़ता है। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास पर उनके विद्यालयी वातावरण का भी प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। जिसके अन्तर्गत विद्यालयी संरचना, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ, शिक्षक-छात्र संबंध, सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएँ आदि विभिन्न पक्ष आते हैं।

संदर्भ ग्रंथ :

- नवीनतम झारखण्ड, सामान्य ज्ञान (2020) : अरिहन्त पब्लिकेशन्स इंडिया लिमिटेड, अग्रवाल रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।

2. कुमार, श्याम (2013) : ज्ञारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन सफल प्रकाशन, पी0 एण्ड डी0 पुस्तक पथ, अपर बाजार।
3. सिन्हा, विनय (2012) : भारत के राज्य ज्ञारखण्ड, अरिहन्त पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, अग्रवाल रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
4. तिवारी, राज कुमार (2012) : ज्ञारखण्ड की रूपरेखा; शिवांगन पब्लिकेशन शिव भवन कमलकांत रोड, रातु रोड।
5. जनगणना, आंकड़ा, वर्ष (2011) : भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. राइट टू एजुकेशन फेरम (2013) : स्टेट्स रिपोर्ट।
7. ज्ञारखण्ड, शिक्षा परियोजना रिपोर्ट (2015), ज्ञारखण्ड सरकार।
8. सकेसना, एन0आर0 स्वरूप (2013) : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ।
9. गुप्ता, यू0सी0 (2014) : शिक्षा के सामाजिक आधार, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
10. वालिया, जे0सी0 (2014–15) : शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्थिक आधार।